5 Rs COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

130

CF ✓ 15/

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर।

प्रकरण क्रमांक: /2000 निग0 — 716-PBR/2000

R-716-PBR/2000

राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

= 8 MAY 2000

S.L.Dhakad Ad.

काजीवली अहमद पुत्र श्री अमीरमोहम्मद निवासी-कौलारस जिला-शिवपुरी (म0प्र0) -------आवेदक

1- काजी खलील अहमद
2- काजी खलाल अहमद
3- काजी हमीद अहमद
4- काजी रफीक अहमद

बनाम

1/-अब्दुल सत्तार।

2/-शाहजाद मोहम्मद पुत्रगण कादर मोहम्मद निवासीगण-कौलारस जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

-----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 24.2.2000 प्रकरण क्रमांक 394/96 ... न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर एवं न्यायालय ... तहसीलदार कौलारस के प्रकरणक्रमांक 06/94-95/अ-12 में पारित आदेश 19.5.97 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

====0===

माननीय न्यायालय,

आवेदक की प्रार्थना निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि -

प्रकरण के तथ्य :

(1) यह कि, अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार कौलारस के न्यायालय में भू-राजस्व संहिता की धारा-129 के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम मनीपुरा के सर्वे 75/2 रकवा 0.439, 78/2 रकवा 0.787 है व 80/2 रकवा 0.272 कुल किता तीन के सीमांकन की मांग की थी। सुनवाई के दौरान खलील अहमद पुत्र काजीवली अहमद द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि विवादित भूमि का सीमांकन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्रकरण क्रमांक 139/84 इ0दी0 में पारित आदेश दिनांक 12.12.88 को बंटाकन एवं सीमांकन हेतु डिक्री पारित की गई थी जिसके आधार पर नायब तहसीलदार कौलारस द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 09/88-... अ-27 में पारित आदेश दिनांक 20.10.89 ... द्वारा सीमांकन ... एवं ... नुसार ... विजूद भी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 716–पीबीआर/2000 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
23 –8–2016	आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो कोलारस के प्रकरण कमांक 13अ/84 इ0दी0 में पारित आदेश दिनांक 12–12–1988 की प्रति प्रस्तुत अनुरोध किया कि इस प्रकरण के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद गतिशील है। बटवारे के संबंध में गतिशील सिविल वाद में होने वाले निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराने के लिए उभय पक्ष स्वतंत्र है। अतः इस स्तर पर इस निगरानी को प्रचलित रखने का कोई शेष नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	